वाहन नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, टी0सी0 / 19वी, भूमित्र भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के प्रागण में 06 अदद पुराने व निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी **'जैसी है–जहाँ है'** स्थिति में दिनांक **26.07.2023** को समय **11.00** बजे पूर्वाह्न में की जायेगी। वाहनों की स्थिति एवं वाहन नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में मुख्यालय पर उपस्थित हो कर देखी जा सकती है। वाहन/वाहनों के क्रय हेतु इच्छुक बोलीदाता जमानत की धनराशि **रू0 50,000/– (रूपया पचास हजार मात्र)** जमा करने उपरान्त नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वाहन नीलामी से संबन्धित सूचना निगम की वेवसाइट www.upbsn.org पर भी उपलब्ध है।

श्रीहरि प्रताप शाही
प्रबन्ध निदेशक

वाहन नीलामी की शर्ते

1. वाहनों की नीलामी **'जैसी है–जहाँ है'** के आधार पर की जायेगी।
2. वाहन/वाहनो के क्रय हेतु इच्छुक बोलीदाता द्वारा वाहन/वाहनों के सापेक्ष जमा की जाने वाली जमानत की धनराषि को जमा करने उपरान्त बोलीदाता को टोकन नं0 आवंटित किया जायेगा।
3. एक टोकन पर केवल एक ही व्यक्ति बोली लगाने हेतु मान्य होगा अन्य व्यक्तियों का नीलामी स्थल पर प्रवेष वर्जित है।
4. जिन बोलीदाताओं द्वारा जमानत धनराशि कुल रू0 50,000.00 (रूपया पचास हजार मात्र) **"प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, लखनऊ"** के नामे बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर टोकन प्राप्त किया गया है, वे ही नीलामी में भाग लेने हेतु मान्य होगें।
5. यदि किसी फर्म के नाम से जमानत की धनराशि जमा कर टोकन प्राप्त किया गया है, तो उक्त फर्म द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति ही बोलीदाता माना जायेगा।
6. नीलामी की समाप्ति (Fall of Hammer) के पश्चात् यदि किसी बोलीदाता द्वारा लगाई गई अधिकतम बोली से अधिक धनराशि पर अन्य बोलीदाता द्वारा वाहन क्रय का प्रस्ताव दिया जाता है, तो वह कदापि मान्य न होगा।
7. नीलामी निर्णित होने पर उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीदाता को अंतिम नीलामी बोली के आधे भाग के समतुल्य धनराशि तुरन्त नकद जमा करनी होगी।
8. यदि उच्चतम अंतिम बोली बोलने वाले बोलीदाता द्वारा नीलामी बोली के आधे भाग के समतुल्य की धनराशि नीलामी स्थल पर जमा नहीं की जाती है, तो उसकी उच्चतम अंतिम बोली को निरस्त मानते हुए उसके द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा पुनः नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी परन्तु, उक्त बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से वंचित रहेगा।
9. नीलामी समाप्ति के पश्चात् अधिकतम बोली बोलने वाले बोलीदाता को छोड कर शेष असफल बोलीदाताओं को आवंटित टोकन जमा करने उपरान्त ही जमानती धनराशि वापस की जाएगी।
10. उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीदाता द्वारा बोली स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार धनराशि जमा करने उपरान्त तीन कार्य दिवस में कर सहित पूर्ण धनराशि टैक्स सहित जमा करनी होगी।
11. यदि उच्चतम बोली बोलने वाले बोली दाता द्वारा टैक्स सहित पूर्ण धनराशि तीन दिन (कार्य दिवस) में जमा नहीं की जाती है, तो उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त कर ली जाऐगी।
12. सफल बोलीदाता द्वारा कर सहित पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त एक सप्ताह (कार्य दिवस) में वाहन को ले जाना अनिर्वाय होगा अन्यथा प्रतिदिन रू0 500.00 (रू0 पॉच सौ मात्र) की दर से Ground Rent देना अनिवार्य होगा एवं Ground Rent जमा करने के पश्चात् ही उच्चतम बोलीदाता को वाहन को ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
13. नीलामी हेतु चिन्हित वाहनों की नीलामी को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने अथवा स्थगित करने का पूर्ण अधिकार वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा।
14. नीलामी स्थल पर किसी भी प्रकार के अस्त्र–शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित है।
15. किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

प्रबन्ध निदेशक